

186

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान



अजमेर

प्रेषक :-

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अजमेर

विद्यालय कोडH-1170323

प्रेषित :-

प्रीधानाचार्य/प्राचार्य / मंत्री / व्यवस्थापक

पब्लिक मांटेसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय.....

पीपाडशहर, जिला- जोधपुर (राज.).....

पिन कोड 342001

क्रमांक - सम्बद्धता / H-1170323

दिनांक 27/1/14

अस्थायी सम्बद्धता पत्र

महोदय / महोदया,

आपके विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमोन्नति के अनुसार सम्बद्धता समिति / बोर्ड द्वारा विचार कर निम्नांकित विषयों एवं पृष्ठ भाग में मुद्रित प्रतिबन्धों पर उच्च माध्यमिक परीक्षा हेतु वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

स्थायी सम्बद्धता हेतु संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र इस कार्यालय में एक सितम्बर वर्ष 2014 तक अवश्य भिजवा दे अन्यथा 1000/- प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा तथा इस समय तक वर्तमान में लगाए गए प्रतिबन्धों के अनुसार कमी पूर्ति हो जाना भी आवश्यक है।

विषय जिनमें अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गई है :-

अनिवार्य विषय : हिन्दी, अंग्रेजी

वर्ग इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य
कला वर्ग
वर्ग
वर्ग
वर्ग

माध्यम :- हिन्दी / अंग्रेजी

संलग्न :- शर्तों का विवरण पृष्ठ भाग पर मुद्रित

भवदीय

प्रभारी अधिकारी (सम्बद्धता)

कोई भी संस्था निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर ही सम्बद्धता प्राप्त कर सकेगी और मान्य बनी रह सकेगी :-

1. शाला राज्य के शिक्षा विभाग के निरीक्षण अधिकारियों के निरीक्षणाधीन रहेगी उसका ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा जिन्हें स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य अधिकारियों के साथ बोर्ड औपचारिक निरीक्षण के लिए नियुक्त करे।
 2. राज्य के शिक्षा विभाग के नियमों और उपनियमों का जहां तक कि वे बोर्ड के विनियमों के अन्तर्गत न हो, यथावत पालन किया जावे।
 3. वह परीक्षार्थियों को किसी अन्य बोर्ड की परीक्षा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका अथवा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए न तो तैयार करे, न भेजे, यदि उसी प्रकार की और उसी स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हो।
 4. कक्षा के कमरों में प्रति विद्यार्थी 1 वर्गफीट के आंगन स्थल का प्रावधान करें।
 5. शाला विद्यार्थियों के प्रवेश तथा प्रवजन (Migration) के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करे।
 6. चाहे जाने पर वह बोर्ड की परीक्षाओं के उपयोग के लिए अपने भवन, कर्मचारीगण, फर्नीचर और उपकरणों को बोर्ड के अधीन कर दें।
 7. किसी विद्यार्थी को बोर्ड की परीक्षाओं में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश लेने के लिए तैयार नहीं करें।
- निरीक्षण की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार चिन्हित शर्तों की पूर्ति करे।

1. बोर्ड मापदंडानुसार प्रायोगिक कक्ष व कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जावे।
2. आवर्तक-अनावर्तक राशि बोर्ड मापदंडानुसार विभिन्न मदों पर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करे।
3. आंतरिक एवं बाह्य खेलों हेतु खेल के मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था की जावे।
4. निम्न पदों पर नियुक्ति की जावे :-

1. 2.

3. 4.

5. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जावे।
6. अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के तहत पी.एफ. योजना लागू की जाये।
7. पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला आवश्यक साजो-सामान से सुसज्जित किया जावे।
8. स्थिर जमा राशि रुपये जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 60 माह के लिये जमा की जाये।
9. कक्षा 1 से 5 तक कक्षाओं का पृथक संचालन किया जावे।
10. प्रबंध समिति का गठन राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के अध्याय 4 के अनुसार किया जावे।

11.
12.

भवदीय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर



प्रेषक :-

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

प्रेषित :-

प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका,

पब्लिक मान्टेसरी माध्यमिक विद्यालय,

पीपाड शहर, (जोधपुर)

क्रमांक - मान्यता /

7347/2004/12302-12307

दिनांक

22 NOV 2004

अस्थायी मान्यता पत्र

महोदय/महोदया,

आपके विद्यालय को निम्न विषयों एवं पृष्ठ भाग में मुद्रित प्रपत्र प्रतिबन्धों पर माध्यमिक परीक्षा हेतु वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

स्थायी मान्यता हेतु संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र इस कार्यालय में एक सितम्बर वर्ष 2006 तक अवश्य भिजवा दें और इस समय तक वर्तमान में लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति हो जाना भी आवश्यक है।

विषय जिनमें अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है :-

अनिवार्य विषय : (1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) विज्ञान (4) सामाजिक विज्ञान (5) गणित
(6) एस.यू.पी.डब्ल्यू (7) कला शिक्षा (8) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

तृतीय भाषा :

संलग्न - शर्तों की एक प्रति

भवदीय

सहायक सचिव

पृष्ठांकन संख्या - मान्यता /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
3. विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (गृप-5)

विभाग, जयपुर

दिनांक

सहायक सचिव

मान्यता विनियम अध्याय 13 (9) के अनुसार अनिवार्य शर्तें :

कोई भी संस्था निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर ही मान्यता प्राप्त कर सकेगी और मान्य बनी रह सकेगी :-

1. शाला राज्य के शिक्षा विभाग के निरीक्षण अधिकारियों के निरीक्षणाधीन रहेगी उसका ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा जिन्हें स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य अधिकारियों के साथ बोर्ड औपचारिक निरीक्षण के लिए नियुक्त करे।
2. राज्य के शिक्षा विभाग के नियमों और उपनियमों का जहां तक कि वे बोर्ड के विनियमों के अन्तर्गत न हो, यथावत पालन किया जावे।
3. वह परीक्षार्थियों को किसी प्रतिद्वन्दी परीक्षा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका अथवा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए न तो तैयार करें, न भेजें, यदि उसी प्रकार की और उसी स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हो।
4. कक्षा के कमरों में प्रति विद्यार्थी 10 वर्गफीट के आंगन स्थल का प्रावधान करें।
5. शाला छात्रों के प्रवेश तथा प्रव्रजन (Migration) के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करें।
6. चाहे जाने पर वह बोर्ड की परीक्षाओं के उपयोग के लिए अपना भवन, कर्मचारीगण, फर्नीचर और उपकरणों को बोर्ड के अधीन कर दें।
7. किसी छात्र को बोर्ड की परीक्षाओं में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश लेने के लिए तैयार नहीं करें।

निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार चिह्नित शर्तों की पूर्ति करें :-

1. बोर्ड मानदण्डानुसार सभा भवन व कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जावे।
2. आवर्तक-अनावर्तक राशि बोर्ड मानदण्डानुसार विभिन्न मदों पर व्यय कर ब्यौरा प्रस्तुत करे।
3. आंतरिक एवं बाह्य खेलों हेतु खेल के मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था की जावे।
4. निम्न पदों पर नियुक्तियां की जावे :-
 1.
 2.
 3.
 4.
5. छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जावे।
6. अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के तहत पी.एफ. योजना लागू की जावे।
7. पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला को आवश्यक साजो-सामान से सुसज्जित किया जावे।
8. स्थिर जमा राशि रुपये जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 60 माह के लिये जमा की जावे।
9. कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का पृथक संचालन किया जावे।
10. प्रबंध समिति का गठन राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के अध्याय 4 के अनुसार किया जावे।
11.
12.